



Neutral Citation No.- 2026:AHC:12513

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-14977 वर्ष 2025

मोहसिन

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: सुधीर कुमार अग्रवाल

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री सुधीर कुमार अग्रवाल और राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अभिषेक मिश्रा को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का भी अवलोकन किया।
3. आवेदक आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा अपराध संख्या 161/2020, पुलिस स्टेशन - थाना भवन, जिला - शामली में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है। प्राथमिकी में उनका नाम नहीं है। सह-आरोपी व्यक्ति के इकबालिया बयान में उसका नाम सामने आया है, जिसका कानून की नजर में कोई साक्ष्य मूल्य नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि आवेदक की ओर इशारा करते हुए देश में बनी पिस्तौल की झूठी बरामदगी दिखाई गई है।

6. अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक को सौंपे गए 13 मामलों का आपराधिक इतिहास हलफनामे में समझाया गया है। आवेदक 20.06.2020 से जेल में बंद है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

7. तत्स्य विपरीत, अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है, लेकिन आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए प्रस्तुतियों पर विवाद करने में असमर्थ है।

8. **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, (2020) 11 एस.सी.सी. 648** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक आरोपी के खिलाफ कई आपराधिक मामलों का लंबित होना अपने आप में जमानत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अपराध की प्रकृति, सजा की गंभीरता और इस तथ्य पर भी विचार करते हुए कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, प्रथम दृष्टया मुझे आवेदक को जमानत पर रिहा करना एक उपयुक्त मामला लगता है। जमानत आवेदन की **अनुमति** है।

10. आवेदक- **मोहसिन**, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित अदालत की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज़ आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

i) आवेदक मुकदमे के दौरान सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश होगा।

11. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।



12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देने में की गई टिप्पणियां गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

जनवरी 19, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

Translated Version. Not for Legal Use.